डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक 8202 /स्थापना/विज्ञप्ति/2023 दिनांक :– 19/8/23

//विज्ञप्ति//

1) म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ **2-53/2017/1/55** दिनांक **12-01-2018** द्वारा मध्य प्रदेश डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अधीन निम्नलिखित चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति वर्तमान में संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 378(B)/स्था./राज/2022 भोपाल दिनांक 12/04/2022 के द्वारा प्राप्त अनुसूची के अनुसार डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अधीन प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है जिस हेतु शासन/एनएमसी द्वारा निर्धारित टी.ई.क्यू. 14/02/2022 के अनुसार न्यूनतम अर्हताए पूरी करते हों। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम (स्वशासी समिति) चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में दिनांक 01/09/2023 सायं 5:00 बजें तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उपरोक्त विज्ञापन की पूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम मध्यप्रदेश की वेबसाईट **www.gmcratlam.org** एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग की **www.medicaleducation.mp.gov.in** पर उपलब्ध है।

2) आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से **Dean and CEO Dr. L. N.P. Government Medical college Ratlam** ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 के कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य हैं एवं अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ई–मेल आई डी **deanratlam@gmail.com** पर भी भेजा जाना अनिवार्य हैं।

3) आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक
सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद
तालिका क्रमांक 01

क्र.	विभाग	सहप्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	फार्माकोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	1
2	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	1
3	मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	-	1
4	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	1	-
5	सर्जरी	-	-	-	-	-	-	-	1
6	शिशु रोग	-	-	-	-	-	-	1	1
7	पैथोलॉजी	-	-	-	-	1	-	-	-
8	निश्चेतना विभाग	-	-	-	-	1	1	-	1
9	रेडियोडायग्नोसिस	-	-	-	-	1	-	-	1
10	इमरजेंसी मेडिसिन	-	-	-	-	1	-	-	-
	Total - (14)	-	-	-	-	4	1	2	7

(यह नियुक्तियॉं नवीन आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अध्याधीन होगी)

Scanned with CamScanner

प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक

तालिका क्रमांक 02

क.	विभाग	पदोन्नति/सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद निम्न पदों की भर्ती हेतु सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।											
		प्राध्यापक				सह–प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	फार्माकोलॉजी	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
2	नाक, कान व गला रोग	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	पी.एम.आर.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	इमरजेंसी मेडिसिन	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	दंत रोग	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	रेडियोडायग्नोसिस	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Total - (11)	5	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-

नोटः–

1) पदोन्नति के रिक्त पदों में कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 378(B)/स्था/राज/2022 भोपाल दिनांक 12.04.2022 में जारी मध्यप्रदेश स्वशासी शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 में नियम 3(ग) के अन्तर्गत जारी अनुसूची क्रमांक 2 की टीप क्रमांक 2 अनुसार सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।

2) अभ्यार्थी को आवेदन में पद की अर्हता से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं संलग्न एनेक्सर के साथ आवेदन करना होगा एवं आवेदन के अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी दस्तावेजों को मान्य नहीं किया जावेगा।

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति , OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है। – पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है। उक्त सन्दर्भ में रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु नस्ति अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

1. वेतनमान – नियमित नियुक्ति हेतु
   - प्राध्यापक – 37400–67000+ ग्रेड–पे 10000+डी0ए0
   - सह प्राध्यापक – 37400–67000+ ग्रेड–पे 9000+डी0ए0
   - सहायक प्राध्यापक – 15600–39100 + ग्रेड–पे 7000+डी0ए0

   टीप – समस्त पदो के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होगें।

2. आयु सीमा – न्यूनतम
   - प्राध्यापक – 35 वर्ष
   - सह प्राध्यापक – 30 वर्ष
   - सहायक प्राध्यापक – 25 वर्ष

   टीप – आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी 2023 को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदो पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।

Scanned with CamScanner

- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

4. अर्हताएं :–

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा प्रस्थापित टी.ई.क्यू. दिनांक 14/02/2022 अनुसार शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हताएं।
- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।
- न्यूनतम अर्हताएं के निर्धारित मापदण्डो की गणना आवेदन दिनांक की अंतिम दिवस तक मान्य की जावेगी।

5. निरर्हताएं :–

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुश्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

5.5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

5.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

5.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

6. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी।
7. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा ओर ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नही लेना होगा ।
8. पदो की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
10. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय–समय पर सौपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
12. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष , जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी । आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन /मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी ।
13. यदि कोई चिकित्सा शिक्षक किसी भी शासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पद पर नियुक्त हो चुका है, उसने पदभार ग्रहण ना भी किया हो तो भी वह आगामी तीन वर्षों के लिए किसी भी अन्य शासकीय महाविद्यालय में नियुक्त के लिए अर्हता नहीं रखेगा तथा इसलिए उसे विचारार्थ नहीं लिया जाएगा।
14. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा एन.एम.सी. से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

Scanned with CamScanner

15 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :– डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के लिए आवेदन, Dean & CEO Dr. L.N.P. Government Medical college Ratlam ग्राम बंजली, रौलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 को निर्धारित प्रारूप में दिनांक 01.09.2023 सांय 5:00 बजे तक आवक शाखा में जमा कराये जा सकते है। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम,(म.प्र.) में जमा कराये जा सकते है |अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्केन कराकर स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ई–मेल आई.डी deanratlam@gmail.com पर भी भेजा जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन" एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी, भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। साक्षात्कार के संबंध में आगे की जानकारी संबंधित वेबसाईट पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है, परन्तु उसे समस्त पदों के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा।'

16. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजो की दो दो छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें।

17. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

18. उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की वेबसाइट www.gmcratlam.org एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in पद पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे! चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

Dean
Govt. Medical College
Ratlam (M.P.)

डॉ. ... सी.
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शा. स्व. चि. महा. रतलाम

प्रभारी अधिकारी
... स्थापना शाखा
शा. स्वशासी चि. म.
रतलाम

Scanned with CamScanner